तावेज का हिस्सा है। नवोदित उद्यमियों को ढ़ावा देने के लिए यह नीति बनाई गई है। धिकारी ने कहा कि मौजूदा समय में , टार्टअप कंपनियों को हर महीने जीएसटी खिल करने , कर रिटर्न जमा करने और न्य स्थानीय कानूनों जैसे ढेरों नियमों का नुपालन करना होता है। इनके अनुपालन में नका काफी समय और पैसे खर्च होते हैं।

अधिकारी ने कहा स्टार्टअप पनियों के लिए हर महीने इन चीजों के नुपालन में लगने वाले समय को टाकर एक घंटे करने की जरूरत है कि स्टार्टअप अपने काम पर ज्यादा से यादा ध्यान दे सके। विजन दस्तावेज में टार्टअप कंपनियों को कारोबार – अनुपालन माहौल देने के लिए कुल 11 पायों का सुझाव दिया गया है ताकि नके नियामकीय बोझ को कम किया जा के। इन सुझावों में वित्तीय प्रौद्योगिकी टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए वोन्मेष केंद्र या प्रयोगों के खातिर नियामकीय दायरा स्थापित करना ; वोदित उद्यमियों के उद्यम में निवेश के लिए कर राहत ; वैकल्पिक निवेश कोष बंधन सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती समेत अन्य पहल शामिल हैं।

इस दस्तावेज का लक्ष्य 2024 तक श में 50,000 नई स्टार्टअप कंपनियां स्थापित करने की सुविधा देना और 20 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना है। तमिलनाडु की स्टार्टअप कंपनी माइक्रोजी एलएलपी की संस्थापक रचना दवे ने कहा अनुपालन में लगने वाले समय को घटाकर एक घंटे करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य कदम है। यह स्टार्टअप कंपनियों को मुख्य

प्रौद्योगिकी है, जिसमें सूचनाएं कई छोटे-छोटे ब्लॉक में सुरक्षित रहती है। इस तरह के आंकड़ों को कॉपी, हैक या इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। सिर्फ रिकॉर्ड में और जानकारियां जोड़ी जा सकती है। तेलंगाना सरकार ने देश के पहले ब्लॉकचेन जिले की परिकल्पना की है। यह जगह भौतिक रूप से राजधानी हैदराबाद में होगी। इसका उद्देश्य

बढ़ावा देने के लिए विश्व - स्तरीय सुविधा होगी। मसौदे के तहत , पांच लाख रुपये तक के पट्टा किराये पर परिचालन के पहले तीन साल 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्रस्ताव किया गया है। सरकार सभी ब्लॉकचेन स्टार्टअप कंपनियों , कार्यालय के लिए जगह देने वाली कंपनियों और इन्क्यूबेशन स्थापित करने के लिए अत्यधिक रियायती कीमतों पर जगह देगी।

लिये अपनाये सिद्धांतों में समानता नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पहले की नीलामियों में बोली की कीमत पर अधिक जोर दिया औ यह तरीका दो नीलामियों के बीच अधिक अंतराल नहीं होने के बाद भी बाजार तथ दूरसंचार कंपनियों की परिस्थितियों को बदल के लिये हमेशा उत्तरदायी हो सकता है।''

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक /समर्पण/2019/841 :- आम सूचना -: दिनांक :- 27-05-2019

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में निचे उल्लेखित भूमि जिसे मास्टर प्लान में आवासीय भू-उपयोग दर्शा रखा है, का गैर कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात -

तहसील व जिला भीलवाड़ा

खातेदार का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
श्री बेणीराम, नारायणप्रकाश, किशनलाल, चुन्नीलाल,देवीलाल, नंदराम पिता घीसू विश्नोई निवासी दरीबा	पांसल	2814 रकबा 1-15 बीघा 2815/1 रकबा 0-18 बीघा 2815/2 रकबा 1-00 बीघा	3-13 बीघा

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है की यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों का निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो यह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के आभाव में ये समझा जाएगा की किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जाएगा । यह सुचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 27-05-2019 को जारी की गयी ।

प्राधिकृत अधिकारी - नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : आवास/एफ12/19/1078 दिनांक :- 27-05-2019

:- सार्वजनिक सूचना -:

एतद् द्वारा श्री सुनील शर्मा पिताश्री महावीर प्रसाद शर्मा को न्यास की नेहरू विहार योजना में आवास गृह संख्या 13/364 साईज 20X50=111.11 वर्गगज जरिये लॉटरी दिनांक 11.09.2013 को आवंटन के माध्यम से आवासगृह विक्रय किया गया।

इस कार्यालय को प्रस्तुत विक्रय चैनल अनुसारश्री सुनील शर्मा पिताश्री महावीर प्रसाद शर्मा के द्वारा नियुक्त उक्त आवासगृह के मुख्तियारनामा आम श्री मोहम्मद सादिक पिताश्री अजीज मोहम्मद मुख्तियारनामा आम उप पंजीयक भीलवाड़ा में दिनांक 12.08.2014 को पंजीकृत है, के द्वारा विक्रय होकर अन्तिम क्रेता श्रीमती मधु काबरा पत्नीश्री भागचंद काबरा के द्वारा उक्त आवास गृह के नामान्तरण बाबत् आवेदन पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में अपनी उजर/ऐतराज मय सबूत/दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने आगामी कार्यवाही संपादित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी - नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : / भूखण्ड द्वितीय / 2019 / 346 दिनांक :- 27-05-2019

:- सार्वजनिक सूचना -:

एतद् द्वारा श्रीमती सोनी देवी सुथार पुत्र श्री मदनलाल सुथार को न्यास की योजना रमेशचंद्र व्यास नगर में भूखंड संख्या 6-सी-32 साइज 107.62 वर्गगज दिनांक 19/12/2002 को आवंटन/ अवॉर्ड/ नीलामी द्वारा विक्रय किया गया है।

इस कार्यालय को प्रस्तुत विक्रय चैनल अनुसार श्रीमती सोनी देवी सुथार पुत्र श्री मदनलाल सुथार इनके द्वारा नियुक्त उक्त भूखंड के जरिए मु.आम श्री हिम्मतसिंह पुत्र श्री उगम सिंह बम्ब द्वारा मु.आम पंजीयक कार्यालय में दिनांक 12.05.2004 को रजिस्टर्ड है इनके द्वारा श्रीमती कैलाश सेठिया पत्नी श्री जमनालाल सेठिया एवं श्रीमती पारस सेठिया पत्नी श्री रामजस सेठिया को विक्रय करदिया गया एवं श्रीमती कैलाश सेठिया पत्नी श्री जमनालाल सेठिया एवं श्रीमती पारस सेठिया पत्नीश्री रामजस सेठिया ने अपने हिस्से का भू- भाग श्री घनश्याम सेठिया पुत्र श्री जमनालाल सेठिया को रजिस्टर्ड बक्षीश कर दिया गया एवं इनके द्वारा उक्त भूखंड के नामांतरण /पंजीयन बाबत आवेदन पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त कार्यवाई से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में अपनी उजरदारी मय सबूत दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं बाद मियाद गुजरने आगामी कार्यवाही संपादित की जावेगी

श्री घनश्याम सेठिया पुत्र श्री जमनालाल सेठिया

निवासी 6-सी-32, आर.सी. व्यास., भीलवाड़ा

प्रभारी अधिकारी - नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : आवास/एफ12/19/1071 दिनांक :- 24-05-2019

:- सार्वजनिक सूचना -:

एतद् द्वारा श्री उदय लाल ढोली पिताश्री छोटूलाल ढोली को न्यास की नेहरुविहार योजना में आवास गृह संख्या 15/241 साईज 15X30=50.00 वर्गगज जरिये लॉटरी दिनांक 06.09.2013 को आवंटन के माध्यम से आवासगृह विक्रय किया गया।

उक्त आवासगृह के मुख्तियारनामा आम श्री भगवान लाल माली पिताश्री बन्नालाल माली मुख्तियारनामा आम उप पंजीयक भीलवाड़ा में दिनांक 13.09.2019 को पंजीकृत है ने कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत कर पंजियन करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में अपनी उजर/ऐतराज मय सबूत/दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने आगामी कार्यवाही संपादित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी - नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L67120RJ1993PLC061489

पंजीकृत कार्यालय : बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान), फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062

वेबसाईट: www.shrikalyan.com, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वार्षिक वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
		अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	93.28	228.05	458.03	926.09
2.	अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से पहले)	5.29	21.20	11.83	124.41
3.	कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	5.29	21.20	11.83	124.41
4.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद)	2.64	24.47	11.83	127.68
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/हानि (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करते हुए]	2.64	24.47	9.19	127.68
6.	समता अंश पूंजी	997.45	997.45	997.45	997.45
7.	रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)	-128.81	-137.99	-128.81	-137.99
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का)				
	मूल	0.03	0.25	0.09	1.28
	तरल	0.03	0.25	0.09	1.28

टिप्पणी : (अ) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.shrikalyan.com पर उपलब्ध है। (ब) 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के उपर्युक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणाम की समीक्षा एवं सिफारिश लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई एवं 27 मई, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

वास्ते श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

हस्ता./-

राजेन्द्र कुमार जैन

अध्यक्ष सह पूर्णकालिक निदेशक (DIN:00168151)

दिनांक : 27 मई, 2019

स्थान : जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल

RAJASTHAN HOUSING BOARD

(A State Government Enterprise Constitued Under RHB Act 1970)

क्रमांक : 172 :- जाहिर आम सूचना -: दिनांक :-19-05-2019

मूल आवंटी श्री सत्यनारायण जाट पुत्र श्री नानूराम जाट को विशिष्ट पंजीकरण योजना 2010 के अंतर्गत आवेदन संख्या 4967 के द्वारा EWS के आवास हेतु कराए गए पंजीकरण पर भीलवाड़ा शहर की पटेलनगर विस्तार योजना में आवास संख्या 3/131 का आवंटन किया गया था जिस का आवंटन पत्र क्रमांक 4981 दिनांक 31.12.2014 जारी किया गया था तथा राशि जमा होने पर आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 14.07.2015 को सुपुर्द किया गया।

आवास का अदेय प्रमाण पत्र श्री सत्यनारायण जाट पुत्र श्री नानूराम जाटके पक्ष में क्रमांक 2050 दिनांक 22/07/2015 को जारी किया गया। आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 13.08.2015 को श्री सत्यनारायण जाट पुत्र श्री नानूराम जाट के पक्ष में जारी किए जो कि उप पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में दिनांक 13.08.2015 को पंजीकृत है।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिए रजिस्ट्री दिनांक 15/11/2015 को ी सत्यनारायण जाट पुत्र श्री नानूराम जाट द्वारा श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भीमराज शर्मा को बेचान किया गया।

इस प्रकार हाल रिकॉर्ड में उक्त आवास संख्या 3/131 पटेलनगर विस्तार श्री सत्यनारायण जाट पुत्र श्री नानूराम जाट के नाम दर्ज है।

अब श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भीमराज शर्मा ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वंय के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तांतरण/ नामांतरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी मंडल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधिन है।

अतः उक्त कर्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सुचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता- राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा